



न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

सुनील मुण्डा

बनाम

विद्यार्थ मुण्डा

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम...135/2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी ...तमाड... के अप्राथमिकी सं०-51/17 दिनांक-8-09-17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>द्वितीय पक्ष द्वारा मारपीट करने का विवाद को लेकर उभय पक्ष में तनाव बना है</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 26/10/17 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संश्लेषित</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> <p>16/10 Both parties Absent 6/11 Jm</p>	

तिथि

आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

02-07-18

अभिलेख उपस्थापित। उभय
पक्ष अनुपस्थित।

उक्त वाद में 6 (छः) माह
की अवधि पूरी हो चुकी है अर्थात्
वाद कालबाधित हो गया है अतः
वाद में अभिलेख की कारवाही
बन्द की जाती है।

2/8/18